रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 10, 2012/भाद्र 19, 1934
No. 202] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 10, 2012/BHADRA 19, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2012

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "फास्फोरिक एसिड-तकनीकी ग्रेड और खाद्य ग्रेड" (औद्योगिक ग्रेड सहित) के आयात के संबंध में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत ।

सं. 15/1010/2012-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति-निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपनी दिनांक 3 जनवरी, 2008 की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 14/07/2006-डीजीएडी के तहत चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "फास्फोरिक एसिड-तकनीकी ग्रेड और खाद्य ग्रेड" (औद्योगिक ग्रेड सहित) पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी और यतः, वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 19 फरवरी, 2008 की सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 17/2008 के तहत इसके कार्यान्वयन की संस्तुति की थी ।

निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

2. यतः, सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार इस धारा के अंतर्गत अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उनका पहले से प्रतिसंहरण नहीं किया गया तो, का प्रभाव इस अधिरोपण की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगा और प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस तथ्य की समीक्षा करेंगे कि क्या शुल्क समाप्त करने से पाटन और क्षति की निरंतरता बने रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है और यदि प्राप्त जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी संतुष्ट हो जाते है कि उक्त शुल्क का समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त औचित्य है, तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार से उक्त शुल्क की समयावधि बढ़ाने की सिफारिश कर सकते हैं ।

3. यतः, मै0 गुजरात अल्कलाइज एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड तथा मै0 पंजाब कैमिकल्स एण्ड क्राप प्रोटेक्शन लिमिटेड ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण), नियम, 1995 के नियम, 23 के साथ पठित, 1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष, चीन जन.गण. (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित फास्फोरक एसिड - टेक्निकल ग्रेड और फूड ग्रेड (औद्योगिक ग्रेड सहित) (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयातों पर विगत में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की है । याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर लगे पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन और क्षति की निरंतरता बने रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और अतः उन्होंने पहले से अधिरोपित शुल्क की अवधि को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है ।

4. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रामाणिक आवेदन-पत्र के आलोक में और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी इस तथ्य की जाँच करने के लिए कि क्या शुल्क का अधिरोपण समाप्त कर दिए जाने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बनी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी, एतद्द्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच शुरू करते हैं ।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

5. मै0 गुजरात अल्कलाइज एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड तथा मै0 पंजाब कैमिकल्स एण्ड क्राप प्रोटेक्शन लिमिटेड (जिन्हें एतद्पश्चात याचिकाकर्ता या घरेलू उद्योग कहा गया है) ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के नियम 23 के साथ पठित, 1995 में यथासंशोधित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) के अंतर्गत चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित फास्फोरिक एसिड-टेक्निकल ग्रेड एवं फूड ग्रेड (औद्योगिक ग्रेड सहित) के आयात पर विगत में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की है । याचिकाकर्ताओं का कुल घरेलू उत्पादन में 50.05% हिस्सा है और अतः पाटनरोधी नियमावली में दी गई शर्तों के अनुरूप उनका आधार बनता है ।

विचाराधीन उत्पाद

6. विचाराधीन उत्पाद है "फास्फोरिक एसिड - टेक्निकल ग्रेड एवं फूड ग्रेड" (औद्योगिक ग्रेड सहित) । चूँकि मौजूदा जाँच एक समीक्षा जाँच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही बना रहेगा जो मूल जाँच में परिभाषित किया गया है । इस अवधि के दौरान उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ । मूल पाटनरोधी जाँच के दिनांक 3 जनवरी, 2008 के अंतिम निष्कर्ष में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को निम्नवत परिभाषित किया:

> "वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "फास्फोरिक एसिड-टेक्निकल ग्रेड और फूड ग्रेड (औद्योगिक ग्रेड सहित) है । फास्फोरिक एसिड का प्रयोग सोडियम फास्फेट, कैल्सियम

फास्फेट, मैगनीशियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, फार्मास्युटिकल अनुप्रयोगों, पेय पदार्थों का उत्पादन करने, बीज प्रसंस्करण करने, गन्ने का रस और चीनी का परिष्करण करने, खाद्य फास्फेट विनिर्माण आदि के लिए किया जाता है । फास्फोरिक एसिड को सीमा शुल्क उप-शीर्षक सं. 28092010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह इस जाँच के दायरे में किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है ।

समान वस्तु

7. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में प्रावधान है कि

"समान वस्तु" का आशय उस वस्तु से है जो, भारत में पाटित की जा रही जाँचाधीन वस्तु के समरूप या समान हो या इस वस्तु की अनुपस्थिति में अन्य वस्तु, जो यद्यपि सभी तरह से समान न होते हुए भी, उसके गुणधर्म जाँचाधीन वस्तु से मिलते जुलते हो ।

8. चीन से निर्यातित संबद्ध वस्तु और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा चीन से आयातित संबद्ध वस्तु आवश्यक उत्पाद गुणधर्मों जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं तकनीक कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण; वितरण एवं विपणन तथा वस्तु का टैरिफ वर्गीकरण, में तुलनीय हैं । उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का विनिमयक रूप से प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग कर रहे हैं । दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं ।

9. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता कम्पनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत समान वस्तुए हैं । जाँच के उपरांत प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु, संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान है ।

प्रक्रिया

10. यह जाँच यह निर्धारण करेगी कि क्या लागू उपाय के समाप्त हो जाने से पाटन और क्षति की निरंतरता बनी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी । प्राधिकारी यह जाँच करेंगे कि क्या प्रत्याशित पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क का अधिरोपण जारी रखना आवश्यक है और यदि शुल्क को हटा लिया जाता है या उसमें भिन्नता की जाती है या दोनों, से क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना रहेगी:

(i) इस समीक्षा में दिनांक 19 फरवरी,2008 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 17/2008 के सभी पहलू शामिल होंगे ।

(ii) इस निर्णायक जाँच समीक्षा में शामिल देश चीन जन.गण. है ।

(iii) इस निर्णायक समीक्षा जाँच के लिए जाँचावधि (पीओआई) अप्रैल,2011 से मार्च, 2012 (12 माह) है । तथापि क्षति विश्लेषण के उद्देश्यों के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात अप्रैल,2008 - मार्च,

खाद्य फास्फेट विनिर्माण आदि के लिए किया जाता है । फास्फोरिक एसिड को सीमा शुल्क उप-शीर्षक सं. 28092010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह इस जाँच के दायरे में किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है ।

समान वस्तु

7. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में प्रावधान है कि

"समान वस्तु" का आशय उस वस्तु से है जो, भारत में पाटित की जा रही जाँचाधीन वस्तु के समरूप या समान हो या इस वस्तु की अनुपस्थिति में अन्य वस्तु, जो यद्यपि सभी तरह से समान न होते हुए भी, उसके गुणधर्म जाँचाधीन वस्तु से मिलते जुलते हो ।

8. चीन से निर्यातित संबद्ध वस्तु और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा चीन से आयातित संबद्ध वस्तु आवश्यक उत्पाद गुणधर्मों जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं तकनीक कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु का टैरिफ वर्गीकरण, में तुलनीय हैं । उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का विनिमयक रूप से प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग कर रहे हैं । दोनों हीं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं ।

9. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता कम्पनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत समान वस्तुए हैं । जाँच के उपरांत प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु, संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान है ।

प्रक्रिया

10. यह जाँच यह निर्धारण करेगी कि क्या लागू उपाय के समाप्त हो जाने से पाटन और क्षति की निरंतरता बनी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी । प्राधिकारी यह जाँच करेंगे कि क्या प्रत्याशित पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क का अधिरोपण जारी रखना आवश्यक है और यदि शुल्क को हटा लिया जाता है या उसमें भिन्नता की जाती है या दोनों, से क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना रहेगी:

(i) इस समीक्षा में दिनांक 19 फरवरी,2008 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 17/2008 के सभी पहलू शामिल होंगे ।

(ii) इस निर्णायक जाँच समीक्षा में शामिल देश चीन जन.गण. है ।

(iii) इस निर्णायक समीक्षा जाँच के लिए जाँचावधि (पीओआई) अप्रैल,2011 से मार्च, 2012 (12 माह) है । तथापि क्षति विश्लेषण के उद्देश्यों के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात अप्रैल,2008 - मार्च,

09, अप्रैल,09 - मार्च,10, अप्रैल,10 से मार्च, 2011 तथा जाँच की अवधि के आंकड़ों की जाँच भी की जाएगी ।

(iv) इस समीक्षा में नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 तथा उसके समान नियम यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

सामान्य मूल्य

11. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाए और सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार करने का प्रस्ताव किया है । याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था के तृतीय देश की कीमत या सृजित मूल्य या ऐसे तृतीय देशों की अन्य देशों के लिए कीमत से इस कारण से निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि संगत जानकारी तक याचिकाकर्ताओं की पहुँच नहीं है । अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत का विधिवत सामयोजन करके, उसके आधार पर किया गया है । इस जाँच की शुरूआत करने के उद्देश्य से प्रमुख कच्चे माल और उपयोगों के लिए याचिकाकर्ता कम्पनियों में से एक के उत्पादन के खपत मानदण्डों पर विचार किया गया है ।

निर्यात कीमत

12. याचिकाकर्ताओं ने भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों का मूल्य एवं उनकी मात्रा का आकलन करने के लिए आईबीआईएस लेनदेन वार निर्यात आंकड़ों को प्रस्तुत किया है । निर्यात कीमत का निर्धारण आयात कीमत के भारित औसत के आधार पर किया गया है । निवल निर्यात कीमत का आकलन करने के लिए सामुद्रिक किराया, सामुद्रिक बीमा, कमीशन और पत्तन व्यय का अंतरदेशीय भाड़ा और बैंक प्रभारों का समायोजन किया गया है ।

पाटन मार्जिन

13. याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य का पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश में उत्पादित या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है जिससे पाटनरोधी जाँच की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करना न्यायोचित है ।

सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उनके दूतावास के जरिए, भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं को निर्धारित

स्वरूप और ढंग से संगत जानकारी प्रस्तुत करने और अपने विचारों से प्राधिकारी को अधोलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से पत्र भेजा जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी अधोलिखित समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित ढंग से जाँच से संगत निवेदन कर सकता है । प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ भी प्राधिकारी तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना होगा ।

समय-सीमा

16. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए ताकि यह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के पत्र की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) से अनधिक समय के भीतर पहुंच जाए । यदि निर्धारित समयावधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

17. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।

असहयोग

18. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जाँच में बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2012

Subject: Initiation of Sunset Review Anti-Dumping investigation concerning imports of 'Phosphoric Acid- Technical Grade and Food Grade (including Industrial Grade)' originating in or exported from China PR

No. 15/1010/2012-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time, and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, the Designated Authority, vide its Final Findings Notification No. 14/7/2006-DGAD dated 3rd January, 2008 had recommended imposition of anti dumping duty on the imports of 'Phosphoric Acid-Technical Grade and Food Grade (including Industrial Grade)' originating in or exported from China PR, and the whereas the Ministry of Finance implemented the recommendation vide its Custom Notification No. 17/2008 dated 19th February, 2008.

Initiation of Sunset Review

2. Whereas in terms of Section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995, the anti-dumping duties imposed under this Section, shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury and if satisfied on the basis of the

information received that there is sufficient justification for extension of such duty, the Authority may recommend to the Central Government for extension of such duty.

3. Whereas M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Limited and M/s Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd (also referred to as "petitioner companies" or "petitioners") filed a petition under section 9A (5) of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995, read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) requesting Sunset Review of anti dumping duties earlier imposed on imports of Phosphoric Acid- Technical Grade and Food Grade from China PR. The petitioners have claimed that cessation of anti dumping duty imposed on the subject goods from the subject country is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury and they have, therefore, requested the Authority for extension of duty already in place.

Domestic Industry & Standing

4. The petition has been filed by M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Limited and M/s Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd. The Petitioners' production accounts for 50.05 % of the total production of the subject goods in India, and hence, constituting a major proportion in the Indian production. In view of the foregoing, the Petitioners satisfy the requirement of standing to file the present petition and the Petitioner Companies constitute 'Domestic Industry' as per the Anti Dumping Rules.

Product under consideration

5. The product under consideration is 'Phosphoric Acid- Technical Grade and Food Grade'. Present investigation being a review investigation, the product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation. There has been no significant development in the product over the period. In the Final Findings dated 3rd January, 2008 of the original anti-dumping investigation, the Designated Authority defined product under consideration as under:

> *"The Product under consideration in the present investigation is "Phosphoric Acid - Technical Grade & Food Grade" (including industrial*

grade). Phosphoric Acid is used for the production of sodium phosphate, calcium phosphate, magnesium phosphate, ammonium phosphate, pharmaceutical applications, beverages, seed processing, sugar juice and sugar refining, food phosphate manufacturing, etc. Phosphoric Acid is classified under Customs subheading No. 28092010. The custom classification is however, indicative only and has no binding on the scope of the present investigation."

Like Articles

6. Petitioners have submitted that the goods produced by the them are like article to the imported product from the subject country in terms of parameters such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The petition filed is for the review, continuation and enhancement of the anti-dumping duty in force and the issues of like article have been already dealt in the previous investigation.

Subject Country

7. The country involved in the present investigation is China (referred to as the 'Subject Country').

Normal Value

8. The petitioners have claimed that China PR should be treated as a non-market economy country and have proposed determination of normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Anti Dumping Rules. The petitioners have claimed that normal value could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country or price from such third countries to other countries for the reason that the relevant information is not accessible to the petitioners. The normal value has, thus, been determined based on cost of production in India, duly adjusted. Consumption norms of one of the petitioners companies' production have been considered for major raw materials and utilities for the purpose of initiation.

3427 GI/12-3

Export Price

9. The Petitioners have submitted the IBIS transaction-wise import information to assess the volume and value of the subject import in India. Export price has been determined on the basis of weighted average of the import price. Export price has been adjusted for Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Port Expenses, Inland Freight and Bank Charges to arrive at the net export price.

Dumping Margin

10. The Petitioners have provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject country are significantly higher than the net export prices, prima-facie indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being dumped, to justify sunset review initiation of an antidumping investigation.

Initiation

11. The petition is in the form and manner prescribed by the Designated Authority and contains prima facie evidence to review as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. Thus, in view of the duly substantiated application filed by the domestic industry and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the AD Rules, the Authority hereby initiates a Sunset Review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to examine as to whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Period of Investigation

12. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is from 1st April, 2011 to 31st March, 2012. However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e., Apr'08-Mar'09, Apr'09-Mar'10, Apr'10-Mar'11 and the period of investigation will be considered. For threat of material injury, the data beyond the POI may also be examined.

Submission of information

13. The known exporters in the subject country and their Government through its Embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhawan,
New Delhi -110107.

Time limit

14. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

Submission of Information on Non-Confidential basis

15. All interested parties shall provide a non-confidential summary in terms of Rule 7 (2) of the AD Rules for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the AD Rules. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing information, such information is not susceptible to summary, a statement of reason thereof is required to be provided. Notwithstanding anything contained above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

Inspection of Public File

16. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

17. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054